न्याय व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

➡ मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भी लिया हिस्सा

भोपाल, 8 फरवरी. देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की मौजूदगी में नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया, जिसमें मुख्य रूप से एकीकृत, कुशल और जन केंद्रित न्यायपालिका के निर्माण जैसे विषय पर भी विमर्श हुआ.

सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के अलावा 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक जगत के विशेषज्ञ मौजूद रहे. आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में प्रशासन के संस्थागतकरण और एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचार विमर्श हुआ.

▸ सम्मेलन में मीडिया ट्रायल पर भी हुई चर्चा

▸ न्याय अदालत के माध्यम से ही होने पर जोर दिया गया

इसका उद्देश्य न्यायिक शासन को पारंपरिक मॉडल से बदलकर एक रणनीतिक, डेटा-संचालित प्रणाली में परिवर्तित करना है. इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर कोर्ट आधुनिक कानूनी जटिलताओं से निपटने के लिए सुसज्जित हों और साथ ही पूरे देश में संस्थागत न्यायप्रियता बनाए रखी जा सके.

सम्मेलन में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और 7 साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए मुकदमों को प्राथमिकता देकर मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप पर भी मंथन हुआ.

इसमें मीडिया ट्रायल के मुद्दों पर चर्चा की गई. इस बात पर ज़ोर दिया गया कि निर्दोषता की धारणा की रक्षा करते हुए न्याय अदालत में ही दिया जाना चाहिए.

राज्यों द्वारा दायर किए गए पुराने या अनावश्यक मुकदमों के संदर्भ में भी विचार-विमर्श किया गया. राज्य की एक लगातार मुकदमे लगाने के रूप में भूमिका को कम करके और डिजिटल नवाचार और भाषाई समावेशिता के माध्यम से सुधारों को संस्थागत बनाकर, सम्मेलन ने एक आधुनिक, सुलभ, समान और नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की. सम्मेलन का समापन अकादमी के निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

रेडक्रॉस हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित

भोपाल, 8 फरवरी. वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संस्थापक स्वर्गीय नारायण प्रसाद गुप्ता की स्मृति में युवा इकाई के तत्वाधान में रेडक्रॉस हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री अशोक गुप्ता अंबर, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता असाटी, जिला महामंत्री राकेश निगोती, युवा जिला अध्यक्ष तरुण गुप्ता, मोहित गुप्ता, जतिन जैन, अंकित जैन, डॉ. अमित गुप्ता, अक्षय गुप्ता, सुनील गुप्ता, अनिल गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, आशीष गुप्ता गोलू, दिव्यांशु एवं समीर, आकिब सागर सहित अनेकों युवाओं ने रक्तदान कर नानाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

रायसेन में नाले में मिला युवक का शव

रायसेन, 8 फरवरी. रायसेन जिले के उदयपुरा में नेशनल हाईवे-45 पर रविवार सुबह एक युवक का शव नाले में मिला. शव मछली बाजार के पास देखा गया.

मृतक की पहचान चिखली निवासी 20 वर्षीय अनिल मेहरा के रूप में हुई है. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

हेमंत खंडेलवाल ने राजा भोज जयंती शोभायात्रा में किया माल्यार्पण

बैतूल, 08 फरवरी. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने रविवार को बैतूल में राजा भोज की जयंती पर क्षत्रिय-पवार समाज संगठन द्वारा आयोजित भव्य शोभायात्रा में सहभागिता कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किया. इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार समेत पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक बंधु एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

गेल ने किया 'सक्षम साइक्लोथॉन' का आयोजन

भोपाल, 8 फरवरी. भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा भोपाल में रविवार को 'सक्षम साइक्लोथॉन' का आयोजन किया गया.

इस अवसर पर अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक एवं राज्य प्रमुख, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. गेल इंडिया लिमिटेड के आंचलिक मुख्य महाप्रबंधक रंजन कुमार एवं अन्य अधिकारियों तथा अन्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. इस रैली में सभी क्षेत्रों से, जैसे की - स्कूल, कॉर्पोरेट्स, विभिन्न साइकिल राइडर एसोसिएशन के सदस्यों तथा विभिन्न उम्र के लोगों ने भारी संख्या में उत्साह के साथ भाग लिया. कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के लिए लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, तथा 4 विजेताओं जिनमें 2 पुरुष तथा 2 महिलाओं को ईनाम के स्वरूप में साइकिल प्रदान की गई. सुबह 7 बजे प्रतिभागियों को झंडी दिखाकर मुख्य अतिथि ने 5 कि.मी. दूरी की साइकिल राइड का शुभारम्भ किया. सायक्लोथान एमवीएम ग्राउंड, रोशनपुरा, नानके पेट्रोल पंप, लिंक रोड होते हुए वापस एमवीएम ग्राउंड पर समाप्त हुई. मुख्य अतिथि ने सभी लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की शपथ दिलायी. कार्यक्रम में अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि साइकिल चलाने से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य में लाभ होता है.

सुल्तानगंज थाने का घेराव, की नारेबाजी

बेगमगंज/सुल्तानगंज, 8 फरवरी. रायसेन जिला मुख्यालय से 105 किमी दूर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम घाना कला से दो युवकों द्वारा एक नाबालिग लड़की का 38 दिन पहले अपहरण कर ले जाने के बाद अब तक उसकी बरामदगी नहीं होने और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से शनिवार की दोपहर में भोपाल एवं रायसेन जिले भर से जुटे साहू समाज के पदाधिकारियों व समाज के सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया. साहू समाज के जिला प्रमुख ताराचन्द्र साहू ने बताया कि ग्राम घाना कला से दो युवक एक नाबालिग को उसके छोटे भाई के सामने उठाकर बाइक पर ले गए थे.

जमीनी संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस

विशेष संवाददाता

भोपाल,08 फरवरी. कांग्रेस पार्टी के जमीनी संगठन को सशक्त बनाने की रणनीति तय करने के उद्देश्य से रविवार को इंदिरा भवन में भोपाल संभाग की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई.

बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त, संगठन उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे तथा संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले उपस्थित रहे. इसके अलावा भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला एवं विधानसभा प्रभारी तथा ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए. बैठक में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर समितियों के गठन के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई, ताकि संगठन की जड़ें और मजबूत की जा सकें.

साथ ही आगामी संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और संगठन की प्रभावशीलता बढ़ाने की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श हुआ. बैठक को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की वास्तविक ताकत उसका जमीनी संगठन है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आह्वान किया और इस बैठक को मजबूत व जनकेंद्रित संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

मंडीदीप में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग, 1 करोड़ का नुकसान

▸ ढाई घंटे में पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी आग

मंडीदीप, 8 फरवरी. मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थित अदिति वायर प्राइवेट लिमिटेड में रविवार सुबह करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई.

आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं. प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही नगर पालिका और एचईजी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और करीब ढाई घंटे बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका. इस दौरान कुल 7 दमकल वाहनों ने आग बुझाई. आग से फैक्ट्री में रखा कॉपर व एल्युमिनियम वायर का स्टॉक, ट्रांसफार्मर, सोलर पैनल, केबल और अन्य मशीनरी जलकर राख हो गई. अनुमानित तौर पर कंपनी को करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है.

कंपनी के प्लांट मैनेजर मनोज रघुवंशी ने बताया कि आग की शुरुआत प्लांट के अंदर से हुई, जिससे भारी मात्रा में मटेरियल नष्ट हो गया. वहीं, कंपनी के मालिक श्याम अग्रवाल ने कहा कि आग से आर्थिक नुकसान तो बड़ा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

पंचायत मंत्री ने किया विकास कार्यों का भूमिपूजन, लोकार्पण

बैरसिया, 8 फरवरी. बैरसिया जनपद पंचायत के सभागृह में रविवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पर विधानसभा क्षेत्रवार कार्यशाला आयोजित की गई.

इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 721 लाख की लागत के 36 विकास कार्यों का भूमिपूजन, लोकार्पण और लाभार्थियों को चेक वितरित किये. इस अवसर पर विधायक विष्णु खत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर नवरंग सिंह गुर्जर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा उपस्थित रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जी रामजी' योजना का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस योजना का यह चौथा बदलाव है.

जी रामजी योजना ऐसा माध्यम है. जिससे अर्थ व्यवस्था सुधरेगी. बदलाव के बाद मजदूरों के जॉबकार्ड लगाकर कोई दूसरा मजदूरी का भुगतान नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब मज़दूर का अंगूठा लगना अनिवार्य किया है और मजदूरी का पैसा सीधे मजदूर के बैंक खातों में जायेगा. इससे अनिमितताओं पर अंकुश लगेगा. वहीं विधायक खत्री ने कहा कि यह केवल शिलान्यास नहीं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण ओर ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प निरंतर बढ़ रहा है.

गौशाला एवं विद्यासागर जी की मूर्ति का अनावरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने विधायक खत्री के साथ बैरसिया - भोपाल मार्ग पर इमला चौकी गोलकुंडा रोड पर स्थित श्री विद्यासागर गुरुकुलम में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की मूर्ति का अनावरण एवं गौशाला और हाथकरघा केंद्र का उद्घाटन भी किया.

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रीवा परिक्षेत्र, रीवा म.प्र.

वेबसाइट : www.mppwd.gov.in ई-मेल : eepwdrewa@mp.nic.in

फोन नं. 07662-255200, फैक्स- 255380

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्र. 13/सा./2025-26 — **रीवा, दिनांक 3/2/2026**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं. उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है.

क्र.	टेंडर आईडी क्रमांक	संभाग का नाम	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	कार्य पूर्ण करनेकी समयावधि	कार्य की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा फार्म (रुपए में)
1.	2026_PWDRB_478221_1	सिंगरौली	उपसंभाग चितरंगी अंतर्गत मुख्य जिला मार्ग एम.डी.आर.-12-02 चितरंगी से चितावल, तमई, झरकटा, बरवाडीह (घोरावल) यू.पी. बॉर्डर मार्ग लं. 45.20 कि.मी. का निर्माण कार्य यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य सहित.	प्रथम	24 माह वर्षाकाल सहित	10707.56	5000000/-	50000/-
2.	2026_PWDRB_479819_1	सतना	उपसंभाग मझगवां अंतर्गत पिण्ड्रा बरौधा खोही भियामऊ म.प्र. सीमा तक (मु.जि.मा.) लं. 35.40 कि.मी. का निर्माण कार्य.	प्रथम	18 माह वर्षाकाल सहित	8773.78	4386900/-	50000/-
			योग			19481.34		

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा. निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा ऑनलाइन बिड सबमिशन की प्रारंभिक तिथि दिनांक 9/2/2026 से अंतिम तिथि 6/3/2026 सायं 18.00 बजे तक निर्धारित है. विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है. निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट में किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा.

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. रीवा परिक्षेत्र, रीवा

G25560/25

कार्यालय कार्यपालन यंत्री नया भोपाल संभाग लोक निर्माण विभाग, भोपाल म.प्र.

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 39/व.ले.लि./2025-26 — **भोपाल, दिनांक 30/1/2026**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है.

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि
1.	2026_PWDRB_479184_1	उपसंभाग क्र.- 3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत 7 नं. स्टॉप से ओल्ड कैम्पियन स्कूल तक मार्ग का उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य. लंबाई 0.59 कि.मी.	प्रथम आमंत्रण	94.29	94290.00
2.	2026_PWDRB_479186_1	उपसंभाग क्रमांक-3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत ओल्ड कैम्पियन स्कूल के मुख्य मार्ग क्र.- 3 तक उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य. लंबाई 0.94 कि.मी.	प्रथम आमंत्रण	87.17	87170.00
3.	2026_PWDRB_479188_1	उपसंभाग क्रमांक-3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत 11 नं. स्टॉप से 12 नं. स्टॉप तक उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य. लंबाई 1.08 कि.मी.	प्रथम आमंत्रण	163.49	163490.00
4.	2026_PWDRB_479190_1	उपसंभाग क्रमांक- 3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत मैनिट कॉलेज से माता मंदिर चौराहे तक उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य.	प्रथम आमंत्रण	54.50	54500.00
5.	2026_PWDRB_479191_1	उपसंभाग क्रमांक- 3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत नेहरू नगर से जुडिशियल अकादमी, मुख्य मार्ग क्र. 3 तक उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य.	प्रथम आमंत्रण	658.19	658190.00
6.	2026_PWDRB_479192_1	उपसंभाग क्रमांक- 3 लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत 1100 चौराहे से भोजपुर क्लब तक उन्नयन एवं मजबूतीकरण तथा अन्य कार्य.	प्रथम आमंत्रण	94.29	94290.00
7.	2026_PWDRB_479193_1	उपसंभाग क्रमांक-2 लो.नि.वि. भोपाल अंतर्गत मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर के भवनों में विभिन्न मरम्मत कार्य.	प्रथम आमंत्रण	46.12	50000.00
		योग		1198.05	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा. निविदा प्रपत्र क्रय एवं सबमिशन करने की अंतिम तिथि 17/2/2026 सायं 5.30 बजे निर्धारित है. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है. विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है.

G25580/25 — **कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग, लो.नि.वि. भोपाल म.प्र.**

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, मुंबई, प्रगति टॉवर, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर C-9, ब्लॉक-G, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (E), मुंबई - 400051
ई-मेल - s58356@pnb.bank.in

कब्जे का नोटिस [नियम-8(1)] (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक का अधिकृत अधिकारी हूं और सेक्शन 13 (2) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ मिलकर, **15.10.2025** को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें कर्जदार **M/s. हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में M/s. जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड)** और उसके गारंटर/गिरवी रखने वालों से नोटिस में बताई गई राशि, यानी 30.09.2025 तक **रुपए 42,51,38,955.99 (रु. बयालीस करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हज़ार नौ सौ पचपन और निन्यानवे पैसे मात्र)** का भुगतान करने के लिए कहा गया था, साथ ही **01.10.2025** से आगे का ब्याज और अन्य खर्च, लागत, शुल्क भी.

कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वालों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, इसके द्वारा कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वालों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ मिलकर, **वर्ष 2026 के फरवरी महीने की 5 तारीख** को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया है.

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक के शुल्क के अधीन होगा, जिसकी राशि रुपये **30.09.2025** तक **रुपए 42,51,38,955.99,** साथ ही **01.10.2025** से आगे का ब्याज और अन्य खर्च, लागत, शुल्क.

कर्ज लेने वाले/गारंटर/गिरवी रखने वाले का ध्यान एक्ट की धारा 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जिसमें सुरक्षित एसेट्स को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताया गया है.

क्र.	अचल संपत्तियों का विवरण
1.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें 'श्री गोल्डन सिटी' का डुप्लेक्स हाउस नंबर 8 शामिल है, खसरा नंबर 94/1/2/1, 94/1/2/2, 94/1/2/3, 94/1/2/4, 94/1/2/5, 94/1/2/6, 94/3/1, 95/3, 67/6/2, 92/1, और 92/2 का हिस्सा, ग्राम- जटखेड़ी, भाभा इंस्टीट्यूट के पास, वार्ड नंबर-53, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. में स्थित है, जिसका माप - प्लॉट एरिया- 320.07 वर्ग मीटर या 3444 वर्ग फुट (ग्राउंड फ्लोर निर्माण क्षेत्र 185.87 वर्ग मीटर और पहली मंजिल का क्षेत्र 92.93 वर्ग मीटर) है. श्री किशन मोदी, उम्र-वयस्क, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी के स्वामित्व वाली संपत्ति जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- मकान नंबर 07, पश्चिम में- मकान नंबर 09, उत्तर में- कॉलोनी रोड, दक्षिण में- मकान नंबर 25 और मकान नंबर 10.
2.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें 'पारस गुलाब वाटिका' के प्लॉट नंबर 77 पर बना आवासीय डुप्लेक्स हाउस शामिल है, जो राजस्व सर्वे नंबर 845/3/2, 847/1, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/2/2 का हिस्सा है, जो ग्राम कस्बा, वार्ड नंबर 29, पटवारी हल्का नंबर 37, तहसील और जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका माप प्लॉट एरिया 1100 वर्ग फुट या 102.17 वर्ग मीटर है. (बना हुआ ग्राउंड फ्लोर एरिया - 950 वर्ग फुट या 88.28 वर्ग मीटर और पहला फ्लोर एरिया - 900 वर्ग फुट या 83.643 वर्ग मीटर) मालिक- श्री किशन मोदी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी, आयु - वयस्क. सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्लॉट नंबर 112, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- प्लॉट नंबर 78, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 76.
3.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें 'पारस गुलाब वाटिका' के प्लॉट नंबर 78 पर बना आवासीय डुप्लेक्स मकान शामिल है, जो राजस्व सर्वे नंबर 845/3/2, 847/1/, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/2/2 का हिस्सा है, जो ग्राम कस्बा, वार्ड नंबर 29, पटवारी हल्का नंबर 37, तहसील और जिला - सीहोर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका माप है - प्लॉट एरिया - 1100 वर्ग फुट या 102.17 वर्ग मीटर. (बना हुआ ग्राउंड फ्लोर एरिया - 950 वर्ग फुट या 88.28 वर्ग मीटर और पहला फ्लोर एरिया 900 वर्ग फुट या 83.643 वर्ग मीटर. मालिक- श्री किशन मोदी पिता श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी, उम्र वयस्क. सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्लॉट नंबर 111, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- प्लॉट नंबर 79, दक्षिण में- प्लॉट नंबर-77.
4.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें 'पारस गुलाब वाटिका' के प्लॉट नंबर 79 पर बना हुआ आवासीय डुप्लेक्स घर शामिल है, जो रेवेन्यू सर्वे नंबर- 845/3/2, 847/1, 848/1, 849, 850/1, 851/1/1, 851/1/2/2 का हिस्सा है, जो गाँव कस्बा वार्ड नंबर 29, पटवारी हल्का नंबर 37, तहसील और जिला - सीहोर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका प्लॉट एरिया 1100 वर्ग फुट या 102.17 वर्ग मीटर है. (बना हुआ ग्राउंड फ्लोर एरिया - 950 वर्ग फुट या 88.28 वर्ग मीटर और पहला फ्लोर एरिया - 900 वर्ग फुट या 83.643 वर्ग मीटर) मालिक- श्रीमती पायल मोदी पत्नी श्री किशन मोदी, उम्र- वयस्क, सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्लॉट नंबर 110, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- प्लॉट नंबर 80, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 78.
5.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें 'क्रेसेंट रेजिडेंसी' का आवासीय प्लॉट नंबर C-29 शामिल है, जो रेवेन्यू सर्वे नंबर 13/5, 13/6, 38/3, 38/1/4 का हिस्सा है, जो गाँव सारंगखेड़ी, पी.एच. नंबर 48, आर.एन.एम. नंबर 04, तहसील - सीहोर, जिला - सीहोर (म.प्र.) में स्थित है. माप 1436.132 वर्ग फुट या 133.47 वर्ग मीटर. मालिक- श्री किशन मोदी पिता श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी, उम्र - वयस्क, सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्लॉट -C-51, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- प्लॉट नंबर - C-28, दक्षिण में- प्लॉट नंबर C-30.
6.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें आवासीय प्लॉट नंबर C-52, 'क्रेसेंट रेजिडेंसी' का हिस्सा, रेवेन्यू सर्वे नंबर 13/5, 13/6, 38/3, 38/1/4 शामिल है, जो ग्राम सारंगखेड़ी, पी.एच. नंबर 48, आर.एन.एम. नंबर 04, तहसील - सीहोर, जिला - सीहोर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1436.132 वर्ग फुट या 133.47 वर्ग मीटर है. मालिक- श्री किशन मोदी, उम्र- वयस्क, पिता श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी, सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में- प्लॉट नंबर C-28, उत्तर में- प्लॉट नंबर -C-53, दक्षिण में- प्लॉट नंबर -C-51.
7.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें खसरा नंबर 268/1/2 पर कमर्शियल रूप से डायवर्टेड ज़मीन शामिल है, क्षेत्रफल 1.16 एकड़ या 0.4700 हेक्टेयर, गाँव - पिपलिया मीरा, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.). वेयरहाउस निर्माण क्षेत्र 5000 वर्ग फुट यानी 464.68 वर्ग मीटर, जिसमें 600 वर्ग फुट यानी 55.76 वर्ग मीटर क्षेत्र R.C.C. का है और शेष टिन शेड. क्षेत्र 4400 वर्ग फीट यानी 408.92 वर्ग मीटर. मालिक- M/S हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में M/s जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड), गाँव पिपलिया मीरा, तहसील और जिला सीहोर (म.प्र.). सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व में- दूसरों की ज़मीन, पश्चिम में- अर्जुन सिंह की ज़मीन, उत्तर में- कच्चा रास्ता, दक्षिण में- सरकारी सड़क सीहोर-बिलकिसगंज रोड.
8.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें औद्योगिक रूप से डायवर्टेड ज़मीन राजस्व सर्वेक्षण संख्या 272/1, क्षेत्रफल 1.57 एकड़ या 0.635 हेक्टेयर, गाँव पिपलिया मीरा, पी.एच. नंबर 48, राजस्व निरीक्षण मंडल 04, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है. मालिक- श्री किशन मोदी, आयु वयस्क, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी, सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व में- खरीदार किशन मोदी की ज़मीन, पश्चिम में- सरकारी नाला, उत्तर में- कच्चा रास्ता, दक्षिण में- सरकारी नाला.
9.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें डायवर्टेड ज़मीन खसरा नंबर 274/1 (नया खसरा नंबर 274/1/2) क्षेत्रफल 1.0 एकड़ या 0.405 हेक्टेयर, 0.7280 हेक्टेयर में से, गाँव पिपलिया मीरा, पी.एच.नं. 48 में स्थित है, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) मालिक- मेसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम पिपलिया मीरा, तहसील और जिला सीहोर (म.प्र.) सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- गगन पोहा फैक्ट्री की ज़मीन, पश्चिम में- खरीदारों की ज़मीन, उत्तर में- खरीदारों की ज़मीन, दक्षिण में- कच्चा रास्ता.
10.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें डायवर्टेड भूमि राजस्व सर्वे नंबर 353/1/Gha/2, 274/1/Gha/2 (नया खसरा नंबर 353/1/4/2) क्षेत्रफल 0.25 एकड़ या 0.101 हेक्टेयर, ग्राम पिपलिया मीरा, पी.एच. नंबर 48/57, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है. मालिक- मेसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम पिपलिया मीरा, तहसील और जिला सीहोर (म.प्र.) सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- कैलाश मेवाड़ा, ओमप्रकाश मेवाड़ा, मनीषा, महेंद्र की ज़मीन, पश्चिम में- मेसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड) की ज़मीन, उत्तर में- ओमप्रकाश मेवाड़ा, मनीषा, महेंद्र की ज़मीन, दक्षिण में- सरकारी सड़क.
11.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें खसरा नंबर 274/2 पर डायवर्टेड भूमि, 0.728 हेक्टेयर में से 0.133 हेक्टेयर क्षेत्रफल, ग्राम पिपलिया मीरा, पी.एच. नंबर 48, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है. मालिक- मेसर्स हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम पिपलिया मीरा, तहसील और जिला सीहोर म.प्र. सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- ओमप्रकाश और चंद्रभान मेवाड़ा की ज़मीन, पश्चिम में- M/S हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में M/s जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड) की ज़मीन, उत्तर में- M/S हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में M/s जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड), दक्षिण में- कच्चा रास्ता.
12.	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें डायवर्टेड ज़मीन खसरा नंबर- 274/2, 0.728 हेक्टेयर में से 0.595 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो गांव पिपलिया मीरा, पी.एच. नंबर 48/57, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) में स्थित है. मालिक- M/S हेल्थ ब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में M/s जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड), गांव पिपलिया मीरा तहसील और जिला सीहोर म.प्र. सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- राकेश मेवाड़ा की ज़मीन, पश्चिम में- घनश्याम मेवाड़ा की ज़मीन, उत्तर में- ओमप्रकाश, महेंद्र, मनीषा मेवाड़ा की ज़मीन, दक्षिण में- ओमप्रकाश, महेंद्र, मनीषा मेवाड़ा की ज़मीन

तारीख : 07.02.2026 — **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी**
स्थान : मुंबई — **पंजाब नेशनल बैंक**